छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29/11/2022

क्रमांक/64/04/योजना/बीओसी/2022/126 :– "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना **"मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र"** बनाती है :–

(क) योजना का नाम :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र"** होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PIL क्र0 916/2020 में राज्य में श्रमिक सहायता केन्द्र (Labour Helpline Centre) की स्थापना करने के हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपेक्ष्य में भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों को State Helpline Desk/Call Centre स्थापित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति दिनांक 19 जुलाई 2021 अंतर्गत श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण, पंजीयन प्रक्रिया/योजनाओं के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के फीडबैक लेने इत्यादि संबंधी कार्य संपादित किये जाने हेतु हेल्पलाईन की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके उददेश्य के पूर्ति हेतु श्रमिक सहायता केन्द्र (Labour Helpline Centre) की स्थापना किया जाना है।

(ग) योजना का प्रावधान :–

1. योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर एक श्रमिक सहायता केन्द्र स्थापित किया जावेगा।
2. इस योजना हेतु सचिव छ0ग0 शासन, श्रम विभाग/श्रमायुक्त कार्यालय स्तर पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्थान द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र का संपूर्ण संचालन किया जावेगा।
3. श्रमिक सहायता केन्द्र के संचालन हेतु चयनित संस्थान एवं शासन के मध्य किए गए अनुबंध/कार्यादेश में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अनुरूप श्रमिक सहायता केन्द्र का संपूर्ण संचालन किया जावेगा।
4. श्रमिक सहायता केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन/निरीक्षण हेतु शासन स्तर पर समिति गठित की जावेगी। उक्त समिति द्वारा श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन के संबंध में समय–समय पर निरीक्षण उपरांत केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित करेगी।
5. वेब पोर्टल, मोबाईल एप, फेसबुक पेज, ई–मेल, ट्वीटर आदि के माध्यम से श्रमिक अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकेंगे।

निरंतर..........2

6. टोल फी नंबर पर फोन कॉल, मिस कॉल, एसएमएस, वॉईस मेसेज, विडियो मेसेज, वॉटसअप के माध्यम से श्रमिक अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकेंगे।

(घ) योजना में देय हितलाभ :–

श्रमिक सहायता केन्द्र के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा समस्याओं का निराकरण, पंजीयन प्रक्रिया, योजना के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी व समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

(ड.) योजना हेतु पात्रता :–

योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।

(च) श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन हेतु संबंधित संस्था का दायित्व :–

1. श्रमिक सहायता केन्द्र से संबंधित समस्त कार्यों के जानकारी के संधारण हेतु वेब पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें श्रमिकों से इनकमिंग एवं आउटगोंइंग के माध्यम से प्राप्त सूचना, मूलभूत जानकारी, शिकायत, सुझाव इत्यादि की जानकारी ऑनाईन इन्द्राज की जावेगी।
2. हेल्प लाईन नंबर में इनकमिंग व आउटगोइंग की सुविधा होगी।
3. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी भाषा में कॉल शिकायत प्राप्त की जावेगी।
4. बाहर जाने वाले कॉल (आउट बाउंड कॉल) निम्न के लिए उपयोग किया जावेगा।
   - 4.1 वार्षिक आधार पर मजदूरों के स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, नौकरी, मजदूरी एवं आवश्यकतानुसार अद्यतन जानकारी एकत्र करना।
   - 4.2 शिकायत दर्ज कराने वाले मजदूरों से संपर्क करना।
5. आने वाले कॉल (इनबाउंड कॉल) निम्न के लिए उपयोग किया जाना है :–
   - 5.1 श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करना।
   - 5.2 विभाग के साथ श्रमिकों का पंजीकरण, योजनाओं एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराना।
6. श्रमिक सहायता केन्द्र की अद्योसंरचना (बिल्डिंग, मानव संसाधन, मानव संसाधन के प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, फर्नीचर, वेब पोर्टल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, स्टेशनरी एवं डाक टिकिट इत्यादि) पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित चयनित संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
7. चयनित संस्थान द्वारा मासिक बिल का देयक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नोडल अधिकारी के सत्यापन रिपोर्ट के साथ श्रमायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

निरंतर..............................3

(छ) भुगतान की प्रक्रियाः–

योजनांतर्गत चयनित संस्थान को अनुबंध/कार्यादेश में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप श्रमिक सहायता केन्द्र के अद्योसंरचना एवं अन्य व्यय हेतु प्रथम बार एकमुश्त राशि दी जावेगी तथा इनकमिंग/आउटगोइंग कॉल हेतु प्रति मिनट निर्धारित दर पर प्रस्तुत मासिक देयक का नोडल अधिकारी के सत्यापन उपरांत प्रति माह श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

(झ.) विसंगति का निराकरण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(ञ) योजना की प्रभावशीलता :–

यह योजना दिनांक 09.09.2022 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

29/11/2022

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0कमांक/64/04/योजना/बीओसी/2022/5042-5057 **अटल नगर, दिनांक** 29/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।

निरंतर.......................................4

9. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
10. समस्त, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

23/11/2022

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर